**प्रेस नोट**

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात** **दिनांक- 19.08.2026**

➢ **थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.08.2026 को थाना राजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री की शादी में दिये गये दहेज से उसकी पुत्री के ससुरालीजन का संतुष्ट नहीं होना, अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री को विपक्षीगणों द्वारा 14/15.08.2026 की रात्रि को गला दबाकर जान से मारकर फाँसी पर लटका देने के संबंध में थाना राजपुर पर **मु0अ0सं0 92/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.विशाल पुत्र अमर सिह, 2.अमर सिह पुत्र मातादीन निवासीगण कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात व** 02 अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरानें विवेचना साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 ख बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. विशाल पुत्र अमर सिह 2. अमर सिह पुत्र मातादीन निवासीगण कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को उसके घर कस्बा राजपुर थाना क्षेत्र राजपुर से दिनांक 19.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण-**

1. विशाल पुत्र अमर सिह उम्र 21 वर्ष निवासी कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. अमर सिह पुत्र मातादीन उम्र 45 बर्ष निवासी कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

**अभियुक्त विशाल व अमर सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 92/2026 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

**गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार
2. हे0का0 579 विवेक कुमार
3. रि0का0 655 राजा